

हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक 1 जनवरी, 1988

सूचना सा. का. नि.सवि.अनु. 309/88.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I —सामान्य

1. ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) नियम, 1987 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. इन नियमों में जब तक मदभं से अन्यथा अपेक्षित न हो :— परिभाषाएं।

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा अधीनस्थ सेवा प्रचरण बोर्ड ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो, सेवा में से पदोन्नति अथवा भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा ;

(घ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा भू-अभिलेख (ग्रुप ग) सेवा ;

(च) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, —

(i) भारत में विधि द्वारा निर्गमित कोई विश्वविद्यालय ; या

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाणपत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या हाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो इन नियमों के प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

भाग II—सेवा में भर्ती

पदों की संख्या
तथा उनका स्वरूप।

सेवा में नियुक्त किए
गए उम्मीदवारों की
राष्ट्रियता अधिवास
तथा चरित्र।

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे ; परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों में वेतनमानों वाले नए पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के प्रवर्तनीय अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो :—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी जो पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय में आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कोनिया, यूगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका तथा जंजीवार), जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया, के किसी पूर्व अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो।

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, बोर्ड अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता-प्रमाणपत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अंतिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय विद्यालय अथवा ऐसी संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाणपत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उस के संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करें।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो बोर्ड को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले जनवरी के प्रथम दिन को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु से कम का अथवा तीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

आयु ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियों निदेशक द्वारा की जायेंगी

नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो ।

अर्हताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति —

निरहताएं ।

(क) जिसने किसी जीवित पति-पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है अथवा विवाह करने की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिस ने पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है अथवा विवाह की संविदा कर ली है ।

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधा भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी —

भर्ती का ढंग ।

(क) मुख्य सहायक की दशा में, —

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा, अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(ख) सहायकों की दशा में, —

(i) 80 प्रतिशत लिपकों में से पदोन्नति द्वारा ; और

(ii) 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे कर्मचारी के स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

to c.
nenl

(ग) लिपिकों की दशा में, —

- (i) घुप ग या घुप घ के कर्मचारियों में से जो 20 प्रतिशत से अधिक न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर जिसका वेतनमान लिपिकों के पदों के वेतनमान से कम है, पदोन्नति द्वारा ; और
- (ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(घ) नक्शाकार की दशा में, —

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
- (2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, जब सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होने वाली होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जाएगी ।
- (3) सभी पदोन्नतियां, जब तक कि अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी किन्तु केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति का हकदार नहीं बनाएगी ।

परिबीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया है तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रहेगा परन्तु—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुक्रम या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिबीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस विधम के इर्धन निरत परिबीक्षा की ओर गिनने दी जा सकती है ; और

(ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिबीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिस ने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिबीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह:—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, ; अथवा

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति से कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों अनुज्ञात करें।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को यदि वह स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो उसको नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है; अथवा

(iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो तो घोषित कर सकता है, कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है। अथवा

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, या यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ; अथवा

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके के गद ऐसा आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था।

to c
nep

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

ज्येष्ठता ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवा काल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी ;

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त किये गये दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जाएगी :

(क) सीधी भत द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता अनुसार निश्चित की जाएगी जिन से वे पदोन्नत अथवा स्थानांतरित किये गये थे ।

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उन की ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था ; और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी नियुक्तियों में उन के सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के कसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, —

(i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमिता हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) किसी अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो, अथवा गैर-सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड-II या खण्ड-III में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन और सभी अन्य मामलों के सम्बन्ध में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा उसके बाद अपनाए या बनाये जायें।

वेतन, छुट्टी,
पेंशन तथा अन्य
मामले।

14. (1) अनुशासन, शास्तियां और अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952, द्वारा नियंत्रित होंगे :

अनुशासन,
शास्तियां तथा
अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियों लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) पंजाब सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1952 के नियम 10 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है।

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।

टीका लगवाना।

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राज निष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

राज निष्ठा की
शपथ।

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक उचित हो, वहां वह कारण लिख कर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग to ^{ent} ऐसा कर सकती है।

ढील देने की
शक्ति।

विशेष उपबन्ध ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण ।

19. नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में २२.१२.७७-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनकों, विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के अन्य किसी वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

20. हरियाणा सरकार अधिसूचना संख्या सा० का० नि० -11/संविधान/अनुच्छेद 309/71, दिनांक 26 फरवरी, 1971, के साथ प्रकाशित हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य श्रेणी III) नियम, 1971, इस के द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कोई कारवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जाएगी ।

परिशिष्ट "क"

(देखिए नियम 3)

पद संज्ञा	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5
प्रधान सहायक ..	1	..	1	1,640—60—2,600—दक्षता- रोध—75—2,900
सहायक ..	5	..	5	1,400—40—1,600—50—2,300— दक्षतारोध—2,600
लिपिक ..	6	..	6	950—20—1,150—दक्षतारोध— 25—1,500
नक्शानवीस ..	1	..	1	950—20—1,150—दक्षतारोध— 25—1,500

to C
nent.

यदि वह
सा कर

से र.र.र.
भूतपूर्व
के लिये

पचास
रूप
पद
के

किया जाए

भारत में स्थापित

का, कीनिया

जानिका त

के किमी पूर्व

के आश

का व्यक्ति

का प्रमाणपत्र

आवश्यक है

कार के लिए

आवश्यक परतना-

विश्वविद्यालय,

प्रस्तुत न

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रमांक	पद नाम	भर्ती लिये शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के अर्हताएं तथा अनुभव, यदि
1	2	3	4
1.	मुख्य सहायक	..	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का (iii) सहायक के रूप में पांच वर्ष
2.	सहायक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड से स्नातक; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) सरकारी कार्यालय या उप-क्रम (निगम/बोर्ड में लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी (iii) लिपिक के रूप में पांच वर्ष
3.	लिपिक	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय या बोर्ड के मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में क्रमशः 25/30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाईप की परीक्षा पास करना ;	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी (iii) ग्रुप ग पद पर, जिसका वेतनमान से कम हो, या ग्रुप ग तथा ग्रुप घ के संयुक्त अनुभव ; (iv) नियुक्ति के एक वर्ष 25/30 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में टाईप प
4.	नक्शाकार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इंजीनियरिंग संस्था से नक्शानवीस श्रेणी पास हो ।	(i) मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी (iii) इस प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इंजीनियरिंग संस्था से नक्शानवीस श्रेणी पास हो ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

के लिये शैक्षिक
गति कोई हो

विद्यालय अथवा
समकक्ष परीक्षा;
ज्ञान; और
वर्ष का अन्तर्भव।
प्रथवा
पद
र केन्द्र
गैर

क्र. सं.	पद नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये संश्लेष प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
2	3	4	5	6	7	

किया जाए

1. मुख्य सहायक

- (क) वैयक्तिक फाइल पर प्रति रखते हुए चेतावनी;
- (ख) परिनिन्दा;
- (ग) वेतन वृद्धि या पदोन्नति रोकना, जिसमें दक्षतारोध पर रोकना सम्मिलित है;

2. सहायक

- (घ) उपेक्षा या भ्रादेशों के उल्लंघन द्वारा सरकार को हुई किसी धन सम्बन्धी हानि की पूरा या उसके भाग की वेतन से वसूली;

3. लिपिक

- (ङ) निम्नतर पद पर या समय-मान में अवनति अथवा समय-मान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;
- (च) सेवा से हटाया जाना जो भावी नियोजन के लिए निरहित नहीं करता;

4. नक्शाकार

- (छ) सेवा से पदच्युति, जो भावी नियोजन के लिये सामान्यतः निरहित करती है।

निदेशक
विस्तारयुक्त
राजस्व
हरियाणा
सरकार

to C.
nent.

विश्वविद्यालय,
प्रस्तुत न

परिशिष्ट ब

[देखिए नियम-14(2)]

क्रमांक	पद नाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिए सक्षम अधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य सहायक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना	निदेशक	बित्तायुक्त राजस्व हरियाणा	सरकार
2.	सहायक				
3.	लिपिक	(ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधि-वर्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।			
4.	नक्शाकार				

(६०)

सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।3. The se
these rules :Provided t
Government to
to create new po
nently or tempoविश्वविद्यालय,
प्रस्तुत न

[Authorised English Translation]

Annexure 'A'

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE DEPARTMENT

Notification

The 1st January, 1988

No. G.S.R.3/Const./Art. 309/88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Land Records Service, namely :—

PART I—GENERAL

1. These rules may be called the Haryana Land Records (Group C) Short title, Service Rules, 1987.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definition.

- (a) "Board" means the Subordinate Service Selection Board, Haryana ;
- (b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government ;
- (c) "Director" means the Director of Land Records, Haryana ;
- (d) "Government" means the Haryana Government or the Administrative Department ;
- (e) "Service" means the Haryana Land Records (Group C) Service ;
- (f) "recognised university" means,—
- (i) any university incorporated by law in India ; or
- (ii) in the case of degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University ; or
- (iii) any other university which is declared by the Government to be recognised University for the purpose of these rules.

PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

3. The service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules : Number and character of posts.

Provided that nothing in these rules shall effect the inherent right of the Government to make addition to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designation and scales of pay, either permanently or temporarily.

ल द्वितीय तथा
री अंतिम प्रपील
प्राधिकारी,
यदि कोई हो

6

स्त सरकार
व
ना

ना सरकार,
ग ।

विश्वविद्यालय,
प्रस्तुत न

Nationality,
domicile
and
character
of
candidates
appointed
to the
Service.

4. (i) No person shall be appointed to the Service, unless he is :—
- a citizen of India ; or
 - a subject of Nepal ; or
 - a subject of Bhutan ; or
 - a Tibetan Regupee who come over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
 - a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kanya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malavi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d), and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Board or any other recruiting authority but the offer or appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal academic officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age. 5. No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who is less than seventeen years or more than thirty years of age, on or before the 1st day of January next preceding the last date of submission of applications to the Board.

Appointing authority. 6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications. 7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment.

Disquali-
fication. 8. No person :—

- Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of
recruitment.

9. Recruitment to the Service shall be made :—

(a) in the case of Head Assistant,—

- (i) by promotion from amongst the Assistants ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(b) in the case of Assistants,—

- (i) 80 % by promotion from amongst the Clerks, and
- (ii) 20 % by direct recruitment, or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(c) In the case of Clerk,—

- (i) not more than 20 % by promotion from amongst Group C or Group D employees, whose scale of pay is less than the scale of the post of clerk, on seniority-cum-fitness basis ; and
- (ii) 80 % by direct recruitment ; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(d) In the case of Mapper,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

(2) Unless otherwise provided, when any vacancy occurs or is about to occur in the service, the appointing authority shall determine in what manner, such vacancy shall be filled in.

(3) All promotions, unless otherwise provided shall be made on the basis of seniority-cum-merit but seniority alone shall not give any right to such promotion.

10. (1) Person, appointed to any post in the Service shall remain on Probation. for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise :

Provided that—

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

1st
in

ma,
da,

प्रथवा
पद
के
केन्द्र
के

किया जाए

रत में स्थाप

का, कीनिय

गानिका त

के किसी पू

तने के आधा

ग का व्यक्ति

का प्रमाणप

प्रावश्यक हो

र के लिख

यक पत्रता-

विश्वविद्यालय,

प्रस्तुत न

- (b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to the service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule, and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the probation is not satisfactory, it may :—

- (a) If such person is appointed by direct recruitment dispense with his services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

- (a) If his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
 - (i) confirms such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or
 - (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy: or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactory, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his services, if appointed by direct recruitment, or revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that seniority shall be

Provided further recruitment, the order disturbed in fixing the

Provided further the same date, the

(a) a member member

(b) a member appoint

(c) in the case seniority member transfer

(d) in the case their service being in his also the same, the

12. (1) Every place whether within to do by the app

(2) A member

(i) a company corpora control a local

(ii) the Central of ind substant or

(iii) any of auton body

Provided that Central or any referred to in clas

13. In resp expressly provide governed by such be adopted or

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Board shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres their seniority shall be determined according to pay, preference being given to member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) Every member of the Service shall be liable to serve at any place whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of service may also be deputed to serve under,—

- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation, a local authority or university within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of

Pay, leave,
pension and
other
matters.

India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,
penalties
and
appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the service shall be governed by the Punjab Civil Service (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and the appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) or sub-rule (1) or rule 10 of the Punjab Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall also be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by special or general order.

Oath of
allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Powre of
relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by an order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special
Provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation.

19. Nothing contained in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-Serviceman, Physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and
Savings.

20. The Haryana Land Records (State Class III), Rules, 1971 published with Haryana Government notification No. G.S.R. 11/Const./Art. 309/71, dated the 26th February, 1971, are hereby repeated:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

Designation of P

Head Assistant

Assistant

Clerk

Mapper

वशवधालय,
प्रस्तुत न

APPENDIX—A

(See Rule 3)

Designation of Post	Number of posts		Total	Scale of pay
	Perma- nent	Tempo- rary		
				Rs.
Head Assistant	1	..	1	Rs. 1,640—60—2,600—EB— 75—2,900
Assistant	5	..	5	Rs. 1,400—40—1,600—50— 2,300—EB—60—2,600
Clerk	6	..	6	950—20—1,150—EB—25— 1,500
Mapper	1	..	1	Rs. 950—20—1,150—EB— 25—1,500

APPENDIX—B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Head Assistant	..	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; and (iii) Five years experience as Assistant.
2	Assistants	.. (i) Graduate of a Recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Five years clerical experience in Government Office or undertaking (Corporation/Board)	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Five years experience as Clerk.
3	Clerks	.. (i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; (iii) Pass the type test in Hindi or English at a speed of 25/30 words per minute respectively.	(i) Matriculation or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; (iii) Five years experience on Group C post whose scale of pay is less than the scale of clerk, or on any Group D post or combined experience on Group C and Group D posts ; (iv) Shall qualify test in Hindi or English typing test at a speed of 25/30 words per minute respectively within one year of appointment.
4	Mapper	.. (i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Pass the Draftsman (Civil) class of Engineering Institution recognised by the Government for this purpose.	(i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Pass the Draftsman (Civil) class of Engineering Institute recognised by the Government for this purpose.

प्रस्तुत न

Mapper

APPENDIX—B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1	Head Assistant	..	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric Standard ; and (iii) Five years experience as Assistant.
2	Assistants	(i) Graduate of a Recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Five years clerical experience in Government Office or undertaking (Corporation/Board)	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Five years experience as Clerk.
3	Clerks	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; (iii) Pass the type test in Hindi or English at a speed of 25/30 words per minute respectively.	(i) Matriculation or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; (iii) Five years experience on Group C post whose scale of pay is less than the scale of clerk, or on any Group D post or combined experience on Group C and Group D posts ; (iv) Shall qualify test in Hindi or English typing test at a speed of 25/30 words per minute respectively within one year of appointment.
4	Mapper	(i) Matric or its equivalent of a recognised University or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Pass the Draftsman (Civil) class of Engineering Institution recognised by the Government for this purpose.	(i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board ; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard ; and (iii) Pass the Draftsman (Civil) class of Engineering Institute recognised by the Government for this purpose.

APPENDIX—C

[See rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1	Head Assistant	Director	(a) Warning with a copy on personal file ; (b) Censure ; (c) withholding of increments or promotion, including stoppage at an efficiency bar ;	Director	Financial Commissioner, Revenue Haryana.	Government
2	Assistants	Do	(d) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of orders ;	Do	Do	Do
3	Clerks	Do	(e) reduction to a lower post or time scale or a lower stage in a time scale ; (f) removal from this service which does not disqualify from future employment ;	Do	Do	Do
4	Mapper	Do	(g) dismissal from the service which does ordinarily disqualify from future employment.	Do	Do	Do

APPENDIX—D

[See Rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1	Head Assistant	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/additional pension admissible under the rules Governing pension. (ii) Terminating the appointment of a member of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Financial Commissioner Revenue, Haryana.	Government.
2	Assistants Assistant				
3	Clerks				
4	Mapper				
5	Mapper				

Secretary to Government, Haryana,
Revenue Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2003

संख्या सा० का० नि० 32/संवि०/अनु० 309/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल: इसके द्वारा, हरियाणा भू-अभिलेख (गुप ग) सेवा नियम, 1987, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख (गुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2003, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा भू-अभिलेख (गुप ग) सेवा नियम, 1987 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, खण्ड ग के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा; अर्थात् :—

“(गग) “वित्तायुक्त” से अभिप्राय है, वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ;”।

3. उक्त नियमों में, नियम 5 में “तीस वर्ष”, शब्दों के स्थान पर “चालीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

“9. भर्ती का ढंग,—

सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

(क) उप अधीक्षक की दशा में—

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) निरीक्षक पंजीकरण की दशा में—

(i) सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) सहायकों की दशा में—

- (i) 80 प्रतिशत लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; और
- (ii) 20 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में—

- (i) आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) प्रारूपकार की दशा में—

- (i) नक्शानवीस में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) चालक की दशा में—

- (i) सेवादार/चौकीदार/स्वीपर एवं चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) नक्शानवीस की दशा में—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) आशुटंकक की दशा में—

- (i) लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा ; अथवा
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा
- (iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(इ) लिपिकों की दशा में—

(i) 20 प्रतिशत सेवादार/चौकीदार/स्वीपर एवं चौकीदार में से पदोन्नति द्वारा ;
और

(ii) 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी
कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, जब कभी भी सेवा में कोई रिक्ति होती है अथवा होने
वाली होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस ढंग से भरी जाएगी।

(3) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर
की जायेगी, किन्तु केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“14. अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें.—(1) अनुशासन, शास्तियों तथा अपीलों से
संबंधित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा
अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने
के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद
309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे
होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप नियम (1)
के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी
भी वही होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट (घ) में विनिर्दिष्ट है।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट रखे
जाएंगे, अर्थात् :—

“परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

पदों की संख्या

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	जोड़	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	उप अधीक्षक	—	2	2	5500-175-8300-द०रो०- 175-9000 रुपए
2.	निरीक्षक पंजीकरण	2	—	2	5500-175-8300-द०रो०- 175-9000 रुपए
3.	सहायक	6	1	7	5000-150-7100-द०रो०- 150-7850 रुपए
4.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	—	1	1	5000-150-7100-द०रो०- 150-7850 रुपए
5.	प्रारूपकार	1	—	1	5000-150-7100-द०रो०- 150-7850 रुपए
6.	चालक	—	1	1	4000-100-4800-द०रो०- 100-6000 + 200 रुपए विशेष वेतन
7.	नक्शानवीस	1	—	1	4000-100-4800-द०रो०- 100-6000 रुपए
8.	आशुटकक	—	1	1	3050-75-3950-द०रो०- 80-4590 + 100 रुपए विशेष वेतन
9.	लिपिक	6	5	11	3050-75-3950-द०रो०- 80-4590

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	उप अधीक्षक		पदोन्नति द्वारा सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष; (ii) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के विभाग में उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2.	निरीक्षक पंजीकरण	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से स्नातक ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में कार्य निरीक्षण का दो वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जायेगा।	पदोन्नति द्वारा सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। (iii) निरीक्षक पंजीकरण के रूप में रजिस्ट्रेशन कार्यालयों में कार्य निरीक्षण का पांच वर्ष का अनुभव।
3.	सहायक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से स्नातक ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) लिपिक का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जायेगा।	पदोन्नति द्वारा लिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार में सहायक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।
4.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक/या	पदोन्नति द्वारा (i) आशुटंकक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव; और

1	2	3	4
		इसके समकक्ष (10+2 व्यावसायिक)	(ii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण ; या
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और	
		(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण ; या	100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा
		100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण।	(i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के विभाग में वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष (10+2 व्यावसायिक)
		(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;	(iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ;
		(iii) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग संस्था से प्रारूपकार (सिविल) श्रेणी में पास।	(iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण ; या
5. प्रारूपकार		(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से दसवीं अथवा इसके समकक्ष	100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 20 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण। पदोन्नति द्वारा नक्शाकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा
		(ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और	(i) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के कार्यालय में प्रारूपकार के रूप में दो वर्ष का अनुभव ;
		(iii) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग संस्था से प्रारूपकार (सिविल) श्रेणी में पास।	(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से दसवीं अथवा इसके समकक्ष ; और (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
6. चालक		(i) मिडिल या इसके समकक्ष;	पदोन्नति द्वारा
		(ii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और	(i) सेवादार/चौकीदार/स्वीपर एवं चौकीदार के पद पर तीन वर्ष का अनुभव;

1	2	3	4
		(iii) भारी तथा हल्के वाहनों को चलाने का लाईसेंस रखता हो।	(ii) मिडिल या इसके समकक्ष ; (iii) मिडिल स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iv) भारी तथा हल्के वाहनों को चलाने का लाईसेंस रखता हो ; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा
7. नक्शानवीस		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग संस्था से नक्शानवीस (सिविल) श्रेणी में पास हो।	(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष ; (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग संस्था से नक्शानवीस (सिविल) श्रेणी पास हो। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा
8. आशुतंकक		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक) (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण ; या 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी	पदोन्नति द्वारा (i) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि और 11 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण ; या 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष/ 10+2 (व्यावसायिक)

1	2	3	4
		आशुलिपि और 15 शब्द प्रति मिनट की गति से इसका लिप्यान्तरण।	(ii) मैट्रिक स्तर पर हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के कार्यालय में आशुटंकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।
9.	लिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष/ (10+2 व्यावसायिक) (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; और (iii) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रमशः 25 या 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी अथवा अंग्रेजी में विभागीय परीक्षा अर्हित करनी होगी, इसमें असफल होने पर, वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी, जब तक वह परीक्षा पास नहीं करता/करती। परीक्षा पास करने पर वार्षिक वेतनवृद्धियां भूतलक्षी प्रभाव से उस तिथि से दे दी जायेगी जिस तिथि को वे अन्यथा देय थी, किन्तु पिछली अवधि के लिए कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।	पदोन्नति द्वारा (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष/10+2 (व्यावसायिक); (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) सेवादार/चौकीदार/स्वीपर कम चौकीदार के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ; और (iv) नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर क्रमशः 25 या 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी अथवा अंग्रेजी में विभागीय परीक्षा अर्हित करनी होगी, इसमें असफल होने पर, वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी, जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता/लेती। परीक्षा पास करने पर वार्षिक वेतनवृद्धियां भूतलक्षी प्रभाव से उस तिथि से दे दी जाएगी जिस तिथि को वे अन्यथा देय थीं, किन्तु पिछली अवधि के लिए कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष/ 10+2 (व्यावसायिक) (ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ; (iii) विहित गति से अंग्रेजी या हिन्दी में विभागीय टाईप परीक्षा पास करनी होगी ; और (iv) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के कार्यालय में लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

परिशिष्ट ग

(देखिए नियम 14(1))

क्रम सं०	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	उप अधीक्षक	निदेशक	1. छोटी शास्तियां.—	निदेशक	वितायुक्त	सरकार
2.	निरीक्षक पंजीकरण		(i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ;			
3.	सहायक		(ii) परिनिन्दा;			
4.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
5.	प्रारूपकार		(iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघना द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के या ऐसी कम्पनी संगम या व्यष्टि निकाय चाहे नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; और			
6.	चालक		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;			
7.	नवशानवीस		2. बड़ी शास्तियां.—			
8.	आशुटंकक		(i) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;			
9.	लिपिक		(ii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतनवृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;

- (iii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड, पद अथवा सेवा पर, ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान, ग्रेड अथवा सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतया रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड, पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों संबंधी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उनके बिना होगी ;
- (iv) अनिवार्य सेवा निवृत्ति ;
- (v) सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;
- (vi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यता निरर्हता नहीं होगी।

मुद्रित आदेश
विद्यमान एवं प्रकाशित
हरियाणा सरकार, याज्ञिक विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE DEPARTMENT**Notification**

The 15th December, 2003

No. G.S.R. 32/Const./Art.309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Land Records (Group C) Service Rules, 1987, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Land Records (Group C) Service (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Haryana Land Records (Group C) Service Rules, 1987 (hereinafter called the said rules), in rule 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

(cc) "Financial Commissioner" means the Financial Commissioner Revenue, Haryana;.

3. In the said rules, in rule 5, for the words "thirty years", the words "forty years" shall be substituted.

4. In the said rules, for rule 9, the following rule shall be substituted, namely:—

"Method of recruitment.—

Recruitment to the Service shall be made,—

(a) in the case of Deputy Superintendent—

- (i) by promotion from amongst Assistants; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(b) in the case of Inspector Registration—

- (i) by promotion from amongst Assistants; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(c) in the case of Assistant—

- (i) 80% by promotion from amongst Clerks; and

Appendix D
[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy Superintendent	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and	Director	Financial Commissioner	Government."
2.	Inspector Registration	(b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
3.	Assistant				
4.	Senior Scale Stenographer				
5.	Draftsman				
6.	Driver				
7.	Mapper				
8.	Steno-typist				
9.	Clerk				

SUNIL AHUJA,
Financial Commissioner & Principal Secretary to
Government Haryana, Revenue Department.

any State Government or the Government of India.

(2) Unless otherwise provided, when any vacancy occurs or is about to occur in the service, the appointing authority shall determine in what manner such vacancy shall be filled in.

(3) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.”.

5. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:—

“14. Discipline, penalties and appeals.— In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.”.

6. In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following Appendices shall be substituted, namely:—

“Appendix A
(See rule 3)

Serial No.	Designation of posts	Number of posts		Total	Scale of Pay
		Perma- nent	Tempo- rary		
1.	Deputy Superintendent	-	2	2	Rs. 5500-175-8300- EB-175-9000.
2.	Inspector Registration	2	-	2	Rs. 5500-175-8300- EB-175-9000.
3.	Assistant	6	1	7	Rs. 5000-150-7100- EB-150-7850.
4.	Senior Scale Stenographer	-	1	1	Rs. 5000-150-7100- EB-150-7850.
5.	Draftsman	1	-	1	Rs. 5000-150-7100- EB-150-7850.
6.	Driver	-	1	1	Rs. 4000-100-4800- EB-100-6000+200 Special pay.
7.	Mapper	1	-	1	Rs. 4000-100-4800- EB-100-6000.
8.	Steno-typist	-	1	1	Rs. 3050-75-3950- EB-80-4590+100 Special pay.
9.	Clerk	6	5	11	Rs. 3050-75-3950- EB-80-4590.

Appendix B
(See rule 7)

Serial No.	Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Deputy Superintendent	(i) Graduate of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Persons having two years experience of inspection work of Registration offices shall be preferred.	By Promotion Five years experience as Assistant. By Transfer/Deputation (i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Two years experience as Deputy Superintendent in any State Government or the Central Government Department.
2.	Inspector Registration	(i) Graduate of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Persons having two years experience of inspection work of Registration offices shall be preferred.	By Promotion Five years experience as Assistant. By Transfer/Deputation (i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Five years experience of inspection work of Registration offices.
3.	Assistant	(i) Graduate of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Persons having any clerical experience shall be preferred.	By Promotion Five years experience as Clerk. By Transfer/Deputation (i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board;

1	2	3	4
4.	Senior Scale Stenographer	(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) of recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. or English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.	(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Two years experience as Assistant in any State Government or the Government of India. By Promotion (i) Eight years experience as Steno-typist; and (ii) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute; Or English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute. By Transfer/Deputation (i) Five years experience as Senior Scale Stenographer in a State Government or the Government of India Department; (ii) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) of recognised university or Board; (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iv) Hindi shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute. or English shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 20 words per minute.

1	2	3	4
5.	Draftsman	(i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Pass in Draftsman (Civil) Class of Engineering Institute recognised by the Government for this purpose.	By Promotion Two years experience as Mapper. By Transfer/Deputation (i) Two years experience as Draftsman in a State Government or a Government of India office; (ii) Matric or its equivalent of a recognised university or Board; and (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.
6.	Driver	(i) Middle or equivalent; (ii) Knowledge of Hindi upto Middle standard; and (iii) Possessing driving licence of heavy and light vehicle.	By Promotion (i) Three years experience on the post of peon/Chowkidar/Sweeper-cum-Chowkidar; (ii) Middle or equivalent; (iii) Knowledge of Hindi upto Middle standard; and (iv) Possessing driving licence of heavy and light vehicle. By Transfer/Deputation (i) Two years experience as driver in a State Government or a Government of India office; (ii) Middle or equivalent; and (iii) Knowledge of Hindi upto Middle standard.
7.	Mapper	(i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Pass in Draftsman (Civil) Class of Engineering Institute recognised by Government for this purpose.	By Transfer/Deputation (i) Matric or its equivalent of a recognised university or Board; (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and (iii) Pass in Draftsman (Civil) Class of Engineering Institute

1	2	3	4
8.	Steno-typist	<p>(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) recognised university or Board;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and</p> <p>(iii) Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute.</p> <p>or</p> <p>English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute.</p>	<p>recognised by Government for this purpose.</p> <p>By Promotion</p> <p>(i) Two years experience as Clerk; and</p> <p>(ii) Hindi shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute.</p> <p>or</p> <p>English shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute.</p> <p>By Transfer/Deputation</p> <p>(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) of recognised university or Board;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and</p> <p>(iii) Two years experience as Steno-typist in a State Government or a Government of India office.</p>
9.	Clerk	<p>(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) of a recognised university or Board;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard; and</p> <p>(iii) To qualify departmental typing test in Hindi or English at the speed of 25 or 30 words per minute respectively within a period of one year from the date of appointment failing which annual increment shall not be released till he qualifies the test. On qualifying the test annual</p>	<p>By Promotion</p> <p>(i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) of a recognised university or Board;</p> <p>(ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;</p> <p>(iii) Five years experience as Peon/Chowkidar/Sweeper-cum-Chowkidar; and</p> <p>(iv) To qualify the departmental typing test in Hindi or English at the speed of 25 or 30 words per minute respectively within a period</p>

1	2	3	4
Sr. No. of post	Designation	Appointments authority	Remarks
		increments shall be released with retrospective effect from the date these were otherwise due but no arrears shall be paid for the past period.	of one year from the date of appointment failing which annual increment shall not be released till he qualifies the test. On qualifying the test annual increments shall be released with retrospective effect from the dates these were otherwise due but no arrears shall be paid for the past period.
1	Deputy Superintendent	Director	1. Minor Penalties (i) issuing with a copy in the personal file (character records); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company or to an individual or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature or a State; and (v) withholding of increments of pay without cumulative effect.
2	Inspector Registration		1. Major penalties (i) withholding of increments of pay with cumulative effect; (ii) reduction to a lower stage in the time scale of pay
3	Assistant		
4	Senior Scale Steno typist		
5	Typist		
6	Driver		
7	Minor		
8	Steno typist		
9	Clerk		

By Transfer/Deputation

- (i) Matric/Higher Secondary or equivalent/10+2 (vocational) of a recognised university or Board;
- (ii) Knowledge of Hindi upto Matric standard;
- (iii) Should have qualified the departmental type test in English or Hindi at the prescribed speed; and
- (iv) Two years experience as Clerk in a State Government or Government of India office.

Appendix C
[See rule 14(1)]

Sr. No.	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Deputy Superintendent	Director	1. Minor Penalties (i) warning with a copy in the personal file (character rolls); (ii) censure; (iii) withholding of promotion; (iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a company or an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to local authority or university set up by an Act of Parliament or of the Legislature or a State; and (v) withholding of increments of pay without cumulative effect;	Director	Financial Commissioner	Government.
2.	Inspector Registration					
3.	Assistant					
4.	Senior Scale Stenographer					
5.	Draftsman					
6.	Driver					
7.	Mapper					
8.	Steno-typist					
9.	Clerk					
			2. Major penalties (vi) withholding of increments of pay with cumulative effect; (vii) reduction to a lower stage in the time scale of pay			

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(viii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service.

- (ix) compulsory retirement;
- (x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government; and
- (xi) dismissal from service which shall ordinary be a disqualification for future employment under the Government.

SHRI A. JINDAL
Principal Commissioner & Principal Secretary
Government of Haryana, Revenue Department

Appendix D
[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and final appellate authority if any
1	2	3	4	5	6
1.	Deputy Superintendent	(a) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; and	Director	Financial Commissioner	Government."
2.	Inspector Registration				
3.	Assistant				
4.	Senior Scale Stenographer	(b) terminating the appointment otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			
5.	Draftsman				
6.	Driver				
7.	Mapper				
8.	Steno-typist				
9.	Clerk				

SUNIL AHUJA,
Financial Commissioner & Principal Secretary to
Government Haryana, Revenue Department.

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 नवम्बर, 2013

संख्या सांका०नि० 57/संवि०/अनु० 309/2013.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) नियम, 1987, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) संशोधन नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) नियम, 1987, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9क.- (1) टंकण परीक्षा लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों के लिये सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त/अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों, आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

(2) उम्मीदवार को सीधी भर्ती की दशा में एक वर्ष तक विस्तार योग्य दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। ग्रुप ग में पदों के पूर्वोक्त प्रवर्गों के विरुद्ध नियुक्त उम्मीदवार तब तक अपने वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि अर्जित करने के लिए हकदार नहीं होगा जब तक वह उक्त परीक्षा अर्हक नहीं कर लेता/लेती है, जिसमें असफल रहने पर ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। व्यक्ति जो लिपिक तथा आशुटंकक के पद पर पदोन्नत किए गये हैं, को भी एक वर्ष तक विस्तार योग्य एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी जिसमें असफल रहने पर उसे वापस प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबन्धित पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा

सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाईपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हार्ट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

- (4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्डप्रोसेसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मैनेजमेंट होंगे।
- (5) लिपिकों की दशा में, दोनों नामलों में समकक्ष की (Key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाईपिंग स्पीड, चूंकि टाईपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जायेगी।
- (6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :-
 - (i) एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर), एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे पालिटैक्निकस से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
 - (ii) राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) (पूर्वी डीओईएसीसी सोसाइटी) के अधीन स्थापित किसी मान्यता प्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र;
 - (iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.ज) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एचएससीआईटी);
 - (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एसईटीसी पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवाग्रहण करते समय वैद्य है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हार्ट्रोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैद्य माना जायेगा; तथा
 - (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरैल्डिसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नैव पो:लजि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नैवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनेरेंटिव डिस्ऑर्डर्स जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लियर करना अपेक्षित होगा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 'ख' में,-

- I. क्रम संख्या 4 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(i) 10+2:”

- II. क्रम संख्या 8 के सामने, खाना 3 के नीचे, विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(i) 10+2:”

- III. क्रम संख्या 9 के सामने,-

- (क) खाना 3 के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“(i) 10+2:

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान; और

(iii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप दी गई है;”

- (ख) खाना 4 के नीचे, 'पदोन्नति द्वारा' शीर्ष के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(i) 10+2:

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

(iii) सेवादार/चौकीदार/स्वीपर कम चौकीदार के रूप में पांच वर्ष का अनुभव;

(iv) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप दी गई है।”

- (ग) 'स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा' शीर्ष के नीचे, विद्यमान मदों के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(i) 10+2:

(ii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान;

(iii) नियम 9 क के दृष्टिगत लोप दी गई है; और

(iv) राज्य सरकार या भारत सरकार के कार्यालय में लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।”

कृष्ण मोहन,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 8th November, 2013

No. G.S.R. 57/Const./Art.309/2013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Land Records (Group C) Service Rules, 1987, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Land Records (Group C) Service (Amendment) Rules, 2013.

2. In Haryana Land Records (Group C) Service Rules, 1987 (hereinafter called the said rules), after Rule 9, the following rules be inserted, namely:—

- “9A. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Senior Scale Stenographers in the Government Departments/Organizations shall have to qualify. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rule shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application (SETC). The Steno-typists, Junior Scale Stenographers and Sr. Scale Stenographers shall also have to qualify Stenography test as prescribed in the Service Rules.
- (2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruit. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in Group C shall not be entitled to earn any increment in his/her pay scale till he/she qualifies the said test, failing which the services of such employees shall be dispensed with. The persons who are promoted to the post of Clerk and Steno-typists shall also qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) within the period of probation of one year extendable by one year, failing which he/she will be reverted back.
- (3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the Authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the State Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The ‘pass’

certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government, would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

- (4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, Internet Browsing and E-mail management only.
- (5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.
- (6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) :—
 - (i) M.Tech./B.Tech (Computers), MCA, BCA or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;
 - (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics & Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];
 - (iii) Haryana State – Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorized Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
 - (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of 5 years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
 - (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand (left and Right) Amputation of upper limbs, Paralysis of Radial Nerve (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and Visually Handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC)."

3. In the said rules, in Appendix B,—

- I against serial number 4, under column 3, for the existing item (i) the following item shall be substituted, namely:—

"(i) 10+2;"

- II against serial number 8, under column 3, for the existing item (i) the following item shall be substituted, namely:—
- “(i) 10+2.”;
- III against serial number 9.—
- (a) under column 3, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
- “(i) 10+2;
- (ii) knowledge of Hindi upto Matric standard;
- (iii) omitted in view of rule 9A.”;
- (b) under column 4, under heading ‘By Promotion’, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
- “(i) 10+2;
- (ii) knowledge of Hindi upto Matric standard;
- (iii) five years experience as Peon/Chowkidar/Sweeper-cum-Chowkidar; and
- (iv) Omitted in view of rule 9A.”;
- (c) under heading ‘By Transfer/Deputation’, for the existing items, the following items shall be substituted, namely:—
- “(i) 10+2;
- (ii) knowledge of Hindi upto Matric standard;
- (iii) Omitted in view of rule 9A; and
- (iv) Two years experience as clerk in a state Government or Government of India office.”.

KRISHNA MOHAN,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to
Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 17-2022]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2022
(6 वैशाख, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 51/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 25 अप्रैल, 2022 - हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप-ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	205-206
	2. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 52/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 25 अप्रैल, 2022 - हरियाणा भू-अभिलेख (ग्रुप-ग) राज्य सेवा संशोधन नियम, 2022.	207-208
	3. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 53/संवि० /अनु० 309/2022, दिनांक 4 अप्रैल, 2022 - हरियाणा भू-अभिलेख सांख्यिकीय (ग्रुप-ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2022.	209-210
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अप्रैल, 2022

संख्या सांका०नि० 52/संवि० /अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) नियम, 1987, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) राज्य सेवा संशोधन नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा भू-अभिलेख (राज्य सेवा ग्रुप ग) नियम, 1987 में, नियम 5 में, "सत्रह" तथा "चालीस" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "अठारह" तथा "बयालीस" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

पी० के० दास,

वित्तियुक्त राजस्व तथा अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 25th April, 2022

No. G.S.R. 52/Const. /Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Land Records (Group C) Service Rules, 1987, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Land Records (Group C) Service (Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Land Records (Group C) Service Rules, 1987, in rule 5, for the words "seventeen" and "forty", the words and sign "eighteen" and "forty-two" shall respectively be substituted.

P. K. DAS,
Financial Commissioner Revenue And
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.